भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

ल खत प्रश्न सं. 1304

सोमवार, 25 जुलाई, 2022/03 श्रावण, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

उदयपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लए वशेष योजना

1304. श्री अर्जुन लाल मीणाः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या सरकार द्वारा को वड-19 महामारी के दौरान पर्यटन क्षेत्र को हुए नुकसान की भरपाई के लए कोई उपाय कया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उदयपुर, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लए कोई वशेष योजना बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. कशन रेड्डी)

(क) और (ख): भारत सरकार द्वारा घो षत व भन्न वत्तीय और गैर- वत्तीय राहत उपायों का ववरण अनुबंध में दिया गया है , जिनसे को वड-19 महामारी के दौरान पर्यटन क्षेत्र को हुए नुकसान को कम करने में पर्यटन को मदद मलने की उम्मीद है।

(ग) से (ड.): पर्यटन मंत्रालय अपनी 'स्वदेश दर्शन', और 'तीर्थयात्रा जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक , वरासत संवर्धन पर राष्ट्रीय अ भयान' (प्रशाद) योजनाओं के तहत देश में पर्यटन अवसंरचना के वकास के लए राजस्थान सहित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से पूर्ण परियोजना प्रस्तावों की प्रस्तुति के बाद वत्तीय सहायता प्रदान करता है और यह एक सतत प्र क्रया है। परियोजनाओं को नि धयों की उपलब्धता, उपयुक्त वस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रस्तुति, योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन और पहले जारी की गई नि धयों के उपयोग आदि की शर्त पर स्वीकृत कया जाता है।

****

अनुबंध

उदयपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लए वशेष योजना के संबंध में दिनांक 25.07.2022 के लोक सभा के ल खत प्रश्न सं. 1304 के भाग (क) और (ख) के उत्त2र में ववरण

को वड के बाद देश के पर्यटन क्षेत्र के पुन: वकास के लए सरकार द्वारा घो षत व भन्न वत्तीय राहत उपाय निम्न ल खत हैं:

i. सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की जिसके माध्यम से सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लए 3 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त स्वचा लत ऋण उपलब्ध कराया गया है । ऋण की अव ध 4 साल की होगी और 12 महीने की ऋण-स्थगन अव ध होगी।

ii. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत , तीन महीने के लए ईपीएफओ द्वारा कवर कए गए सभी प्रतिष्ठानों के लए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के भ वष्य नि ध योगदान को प्रत्येक के लए मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

iii. पांच करोड़ रुपये तक की कंपनियों के लए बिना कसी दंडात्मक ब्याज के रिटर्न फाइ लंग तीन महीने के लए स्थगन , बाकी के लए **@**9 प्रतिशत दंडात्मक ब्याज के साथ।

iv. सरकार ने 100 से कम का र्मकों वाले और जिनके 90% कर्मचारियों की आय 15000 रुपये से कम वाले, संगठनों के लए भ वष्य नि ध योगदान को तीन महीने के लए माफ कर दिया।

v. अक्टूबर 2020 तक स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) का आस्थगन।

vi. केंद्र सरकार ने व्यापार निरंतरता और अस्तित्व सुनिश्चित करने के लए को वड-19 संकट को ध्यान में रखते हुए , अलग-अलग अव ध के लए आयकर अ धनियम , कंपनी अ धनियम और जीएसटी अ धनियम के तहत व भन्न नियामक अनुपालनों से राहत प्रदान की है।

vii. भारत सरकार ने 31.03.2021 को पात्र सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और अपने

व्यवसाय को फर से शुरू करने में सहायता करने के लए आपातकालीन क्रे डट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 3.0 शुरू की है। आतिथ्य , यात्रा और पर्यटन और आराम और खेल क्षेत्रों में व्यावसायिक उद्यमों को कवर करने के लए योजना का दायरा बढ़ाया गया है। आतिथ्य क्षेत्र के लए 50,000 करोड़ रु. की अतिरिक्त संचयी नि ध का प्रावधान भी कया गया है । ईसीएलजीएस (ईसीएलजीएस 1.0 , ईसीएलजीएस 2.0 और ईसीएलजीएस 3.0) की वैधता को 31.03.2023 तक या 5 लाख करोड़ रुपये की रा श की गारंटी जारी होने तक बढ़ा दिया गया है।

viii. वत्त मंत्रालय ने 16.06.2021 को स वस एक्स्पोर्ट फ्राम इं डया स्कीम (एसईआईएस) स्क्रिप जारी करने की सहमति दी है। इससे पहले , कई उद्योग हितधारकों ने 2019-20 के लए एसईआईएस स्क्रिप्स जारी करने के लए सरकार से अपील की थी और डीजीएफटी ने 2019-20 के दौरान कए गए निर्यात के लए एसईआईएस के आवंटन के लए एक वस्तृत प्रस्ताव रखा था। सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए , व्यय वभाग, वत्त मंत्रालय ने 2061 करोड़ रुपये के वत्तीय आवंटन के साथ 2019-20 के लए एसईआईएस जारी रखने के वा णज्य वभाग के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन सहमति दी है क रा श एक नया लघु शीर्ष प्रदान करने की प्र क्रया का पालन करते हुए व्यय बजट के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

ix. 28 जून, 2021 को, सरकार ने को वड-19 महामारी से प्रभा वत अर्थव्यवस्था के व भन्न क्षेत्रों के संवर्धन और वकास तथा रोजगार के उपायों को गति प्रदान करने के लए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। पैकेज में तीन व्यापक श्रे णयों में कुल 17 उपाय शा मल हैं, जिसमें 'महामारी से आ र्थक राहत, स्वास्थ्य और पुनर्जी वत यात्रा और पर्यटन क्षेत्रों पर वशेष ध्यान देने के साथ' और ' वकास और रोजगार के लए प्रोत्साहन' शा मल हैं।

x. पर्यटन मंत्रालय ने 'को वड प्रभा वत पर्यटन सेवा क्षेत्र हेतु ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएटीएसएस)' की शुरूआत की है जिसका लक्ष्य अपनी देयताओं को पूरा करने और को वड-19 महामारी से प्रभा वत व्यवसाय को दोबारा शुरू करने में संकटग्रस्त पर्यटन क्षेत्र की सहायता के लए उन्हें कोलेटरल मुक्त ऋण प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित टूर ऑपरेटर/ट्रैवल एजेंटों/पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आरएलजी/आईआईटीजी तथा राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुमोदित पर्यटक गाइडों में से प्रत्येक 1.00 लाख रु. तक का ऋण प्राप्त कर सकता है। यह योजना पहले से ही 18 अनुसू चत वा णज्यिक बैंकों के माध्यम से प्रचालनरत है। इस योजना की वैधता अव ध एक और वर्ष अर्थात् 31 मार्च , 2023 तक

अथवा इस योजना के तहत 250.00 करोड़ रु. की गारंटी जारी होने तक के लए बढ़ा दी गई है।

xi. को वड-19 के पश्चात पुनरुद्धार की तैयारी की दृष्टि से , मंत्रालय ने 08.06.2020 को होटल, रेस्तरां, बीएंडबी/होम स्टे और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लए को वड सुरक्षा और स्वच्छता के लए वस्तृत परिचालन दिशानिर्देश तैयार और जारी कए हैं ता क व्यवसाय को सुचारू रूप से फर से शुरू कया जा सके।

xii. होटल, रेस्तरां, बी एंड बी और अन्य इकाइयों के सुर क्षत संचालन के लए को वड -19 और उससे आगे के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों/एसओपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लए "साथी" (आतिथ्य उद्योग के लए आकलन , जागरूकता और प्र शक्षण के लए प्रणाली) नामक एक पहल वक सत की गई है।

xiii. होटलों और अन्य आवास इकाइयों के अनुमोदन या प्रमाणन की वैधता , जिनकी परियोजना अनुमोदन/पुनः अनुमोदन और वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण समाप्त हो गया है/समाप्त होने की संभावना है, को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

xiv. पर्यटन उद्योग में हितधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से , घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लए हितधारकों को वत्तीय सहायता प्रदान करने के लए बाजार वकास सहायता योजना (एमडीए) के दिशा-निर्देशों को योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लए संशो धत कया गया है , ता क हितधारकों को अ धकतम लाभ प्रदान कया जा सके। ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गति व धयों को शा मल कया गया है और अनुमेय वत्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है। वदेश संवर्धन और प्रचार योजना के तहत वपणन वकास सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को संशो धत कया गया है ता क योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाया जा सके , ता क पर्यटन उद्योग में हितधारकों को अ धकतम लाभ प्रदान कया जा सके।

xv. देश में इनबाउंड पर्यटन को बहाल करने और वदेशी पर्यटकों को आक र्षत करने के लए भारत सरकार ने संभा वत पर्यटन बाजारों के वदेशी पर्यटकों को पहले 5 लाख वीजा नि:शुल्क प्रदान कए हैं। पहले 5 लाख पर्यटक वीजा जारी कए जाने के दौरान नि:शुल्क वीजा का लाभ कसी एक पर्यटक को एक ही बार मलेगा।

xvi. को वड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के परिणामस्वरूप पर्यटन मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से व्यवसाय की निर्बाध बहाली के लए पर्यटन हितधारकों, होटलों और रेस्तरां को दिशानिर्देश/निर्देश जारी करता है।

xvii. गृह मंत्रालय ने दिनांक 15 मार्च , 2022 से 156 देशों के वदेशी नागरिकों के लए ई-पर्यटक वीजा बहाल कर दिया है। इसके अतिरिक्त पूरे वश्व में व्यापक वैक्सीन कवरेज को देखते हुए और हितधारकों के परामर्श से भारत सरकार ने दिनांक 27 मार्च, 2022 से भारत से आवागमन के लए अ धसू चत वा णज्यिक अंतर्राष्ट्रीय यात्री सेवाएं बहाल कर दी हैं।